(91)

संख्याः 1144/XXIV-3/11/02(26)11

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 07 सितम्बर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला योजनाओं हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 5ख(2) 34405/नियोजन/2011–12 दिनांकः 08 अगस्त, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों/इण्टर कालेजों–बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण एवं राजकीय मा0 विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 484.85लाख (रूपये चार करोड़ चौरासी लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियॉ पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं जिनमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है, साथ ही जिला योजनान्तर्गत ऐसी योजनाओं/कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जायेंगी जिसमें वेतन आदि अथवा अन्य आवर्तक व्यय सम्मिलित हो।

2. निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके, साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्याः 475/XXVII(1) 2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

3. प्रयोगशाला/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष कॉमन रूम एवं पेयजल तथा शौचालय हेतु धनराशि जनपद स्तर पर निर्धारित आंगणन के आधार पर किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उनकी कोई देयता आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शेष नहीं रखी जायेगी।

4. निर्माण कार्यो के लिए निर्माण एजेन्सी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अभियन्ता उत्तरदायी होंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु यथा आवश्यक थर्ड पार्टी जांच भी करायी जाये।

कमशः–2

5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 91–जिला योजना में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्रों में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 163(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2010, दिनांकः 02 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव
(स्वतन्त्र प्रभार)।

संख्याः 1144(16)/XXIV-3/11/02(26)11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव–मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव–अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार), विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।

शासनादेश संख्याः 1144/XXIV-3/11/02 (26) 2011 दिनांकः सितम्बर, 2011 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र0 सं0	जनपद	9102—राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों/इण्टर कालेजों—बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण			9103— राजकीय मा0 विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण			पुनर्विनियोग से कुल स्वीकृत धनराशि
		अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	पूर्व स्वीकृत धनराशि	पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि	अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	पूर्व स्वीकृति धनराशि	पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नैनीताल				105.00	100.00	0.00	0.00
2.	उधमसिंहनगर				13.06	13.06	0.00	0.00
3.	अल्मोड़ा	66.55	5.50	61.05	238.42	199.99	28.63	89.68
4.	पिथौरागढ़				111.00	111.00	0.00	0.00
5.	बागेश्वर				129.36	119.36	0.00	0.00
6.	चम्पावत	20.00	2.00	18.00	280.00	220.00	40.50	58.50
7.	देहरादून	56.00	3.00	45.00	84.84	55.84	0.00	45.00
8.	पौड़ी	315.17	20.00	229.17	12.15	9.15	0.00	229.17
9.	टिहरी				280.00	220.00	40.50	40.50
10.	चमोली	12.00	1.00	11.00	146.00	106.00	0.00	11.00
11.	उत्तरकाशी				5.00	5.00	0.00	0.00
12.	रूद्रप्रयाग				19.20	12.80	0.00	0.00
13.	हरिद्वार	12.00	1.00	11.00	27.00	27.00	0.00	11.00
	महायोग—	481.72	32.50	375.22	1451.03	1200.00	109.63	484.85

अनि

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव

नियत्रंक अधिकारी–सचिव, विद्यालयी शिक्षा
प्रशासकीय विभाग–माध्यमिक शिक्षा

(पैरा–156)

वित्तीय वर्ष 2011–12 अनुदान संख्या–11 आयोजनागत (धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानितव्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं के निर्माण की जिला योजना में अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अतिरिक्त बचत है अन्य योजनाओं में अतिरिक्त आवश्यकता है।
01–सामान्य शिक्षा				01–सामान्य शिक्षा			
202– माध्यमिक शिक्षा				202–माध्यमिक शिक्षा			
91–जिला योजना				91–जिला योजना			
9101–राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण				9102–राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों/इण्टर कालेजों–बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था			
				24–वृहत निर्माण कार्य 37522	40772		
				9103–राजकीय मा0 विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (जिला योजना)			
24–वृहत निर्माण कार्य 95000	22962	23554	48485	24–वृहत निर्माण कार्य 10963	130963		
सम्पूर्ण योग– 95000	**22962**	**23553**	**48485**	**48485**	**171735**	**46515**	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्युवल के परिच्छेद 150, 151,155,,156 का उलघंन नहीं होता है।

8/12/11

(जी0पी0तिवारी)
अनसचिव।